न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –111/2018

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
केसरसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी कालेटड़ा तहसील परबतसर, जिला नागोर		सरकार जरिये नायब तहसीलदार पीलवा (परबतसर)

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री गंगासिंह कालवी।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 07-03-2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत नायब तहसीलदार पीलवा द्वारा प्रकरण संख्या 37/2018 सरकार बनाम केसरसिंह राजूत अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 31.07.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.09.2018 को अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात उक्त प्रकरण तहसील क्षेत्र परबतसर से संबंधित होने एवं तहसील परबतसर का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को होने से, अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना ने अपने पत्रांक–1230 दिनांक 15.10.2018 से उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली इस न्यायालय को भिजवाई। उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर प्रकरण अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2018 को अपीलार्थी के विरूद्ध आलौच्य आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 16.08.2018 को हुई। अपीलान्ट की आयु करीब 70 वर्ष है, जो परिवार सहित अजगेर में ही निवास कर रहा है। अपीलान्ट वृद्धावस्था के कारण एवं हृदय की धमनियों में रूकावट का मरीज है, जिसका उपचार वेदान्ता हॉस्पिटल गुड़गावं द्वारा किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझ कर उक्त अपील पेश करने में देरी नहीं करने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने उक्त अपील को अन्दर मयाद समाहित करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने उक्त प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुऐ न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मैरिट पर सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का कालेटड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत कि की अपीलार्थी द्वारा संवत् 2075 सरहद कालेटड़ा के खसरा नम्बर 409 मी. किस्म गैर मु. रास्ता रकबा 0.0017 हैक्टेयर भूमि में मकान को बढ़ाकर अतिक्रमण किया है, जिस पर अपीलार्थी को 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 04.07.2018 कोजवाब प्रस्तुत किया एवं

Scanned by CamScanner

उसी दिवस को सीमाज्ञान एवं ई.डी.एम. सर्वे कराने का लिखित आवेदन पेश किया परन्तु बिना कोई सर्वे कराये बिना कोई साक्ष्य सफाई लिए ही अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 31.07.2018 को पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

वाके सरहद कालेटड़ा खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 06 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलार्थी व उसके भाई राजेन्द्रसिंह, भगवानसिंह, रिछपालसिंह, गजेन्द्रसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। मगर खसरा नम्बर 38 में से हरसोर व डेगाणा नया सड़क मार्ग बनने के कारण उक्त खसरा नम्बर 38 के चार हिस्से खसरा नम्बर 67, 68 व 78 बन गये है। अपीलार्थी की भूमि में से नया मार्ग राज्य सरकार द्वारा बनाने के पश्चात अपीलार्थी व उसके भाईयों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। ट्रेस नक्शा खसरा नम्बर 38 व खतौनी संवत् 2076–79 की छाया प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की हुई है।

अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 38 के पूर्व की तरफ अवस्थित परवतसर से पुष्कर सड़क मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने के कारण अपीलार्थी व उसके भाईयों की भूमि सड़क में और भी समाहित हो चुकी है, जिसका भी अपीलार्थी व उसके भाईयों को कोई मुआवजा नहीं मिला है।

ग्राम पंचायत कालेटड़ा द्वारा पूर्व में दिनांक 30.01.2004 को लिए गये प्रस्ताव द्वारा खसरा नम्बर 38 का सीमाज्ञान तहसीलदार परवतसर द्वारा कराने हेतु निवेदन किया जिस पर भी अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

दिनांक 15.03.2015 को तहसीलदार परवतसर द्वारा वादित खसरान का सीमाज्ञान रेवेन्यू अधिकारियों की टीम गठित करवाकर करवाया गया, उस वक्त भी अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं करना पाया गया।

वादित खसरान में अन्य किसी पक्षकारान को उक्त प्रकरण में बिना पक्षकार बनाये ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

खसरा नम्बर 74 रकबा 0.100 हैक्टयर में ही अपीलार्थी की दुकानों का निर्माण आज से करीब 25–30 वर्ष पूर्व करवाया है, जो रास्ते की भूमि पर नहीं है। उक्त निर्माण करवाते वक्त ग्राम पंचायत भड़सिया द्वारा नाप चौक कर ही दुकानों का निर्माण करवाया। उस वक्त कालेटड़ा ग्राम पंचायत भड़सिया में आता था।

खसरा नम्बर 409 का मौके पर आज अस्तित्व नहीं है। क्योंकि खसरा नम्बर 409 से चिपते ही पश्चिम में अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि में से नया मार्ग निकालने के पश्चात गांव के अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसकी आज दिन तक अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

वर्तमान खसरा नम्बर 74 की भूमि एवं खसरा नम्बर 409 की भूमि का राजस्व अधिकारियों की टीम गठित कर पुराना नक्शा से सीमाज्ञान कराने से स्पष्ट हो जायेगा कि अपीलार्थी ने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है, बिना किसी सीमाज्ञान के अपीलार्थी को दोषी किया जाना न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.07.2018 को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने अपनी बहस में वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की अपीलान्ट द्वारा ग्राम कालेटड़ा के खसरा नम्बर 409 की 0.0017 हैक्टयर गै.मु. रास्ता की भूमि पर मकान की दीवार बढ़ाकर द्वारा अतिक्रमण किया गया है। वादग्रस्त भूमि रास्ते की भूमि है, जो सार्वजनिक हित की भूमि है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पटवारी कालेटड़ा एवं, भू–अभिलेख निरीक्षक भड़सिया की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2018 से तथा नजरी नक्शा से साबित है। इसलिए निर्णय जैर अपील सही होने से अपील अपीलान्ट निरस्त करने का निवेदन किया।

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

वकुलाय की बहस पर गनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में पटवारी कालेटड़ा, भू अभिलेख निरीक्षक भड़सिया की रिपोर्ट दिनांक 29.05.2018 व नजरी नक्शा के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम कालेटड़ा के खसरा नम्बर 409 गै.मु. रास्ता की 0.0017 हैक्टयर भूमि पर मकान की दीवार बढ़ाकर अतिक्रमण किया जाना साबित है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब आदि प्रस्तुत किये गये है तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मकान की दीवार बढ़कार अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner